

आदेश


राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के अधीन सहायक आयुक्त पद की वर्ष 2017-18 की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 में की गई अभिशांषा पर निम्नांकित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, सहायक आयुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम
1	श्री समीरदान संकरोत		श्री राजीव शर्मा के नीचे
2	श्रीमती निधि मिश्रा		श्री समीरदान संकरोत के नीचे
3	श्रीमती नीलू पुरोहित		श्रीमती निधि मिश्रा के नीचे एवं श्री बाबूलाल मीणा-1 के ऊपर

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का भी कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में, आवश्यकतानुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त(राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर
9. रक्षित पत्रावली


शासन सचिव, वित्त(राजस्व)